REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

HINT HINT HINT

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 2018/आवण 11, 1940No. 532]NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2018/SHRAVANA 11, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 730(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियमों जिन्हें केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, इनसे प्रभावित होने वाले जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रारूप नियमावली पर कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, तो उन्हें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी- को ई-मेल पते अर्थात् <u>mscb.cpcb@nic.in</u> और <u>h.kharkwal@nic.in</u> पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है। (2) ये नियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (इसमें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित संदर्भित) में, अनुसूची-I में,

(i) क्रम सं. 16 और उसके संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जाएंगी, और

(ii) क्रम सं. 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

क्रम सं.	उद्योग	मानदंड	मानक (निपटान की सभी प्रणालियों पर लागू)
1	2	3	4
"57	चर्मशोधनशालाएं	चर्मशोधनशाला उद्योग से बहिस्राव के निस्सारण के लिए मानदंड	
		शोधित बहिस्राव	अधिकतम अनुमेय सीमा
			(pH को छोड़कर mg/l में)
		рН	6 से 9
		बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (27º	20
		से. पर बीओडी₃)	

	केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी)	250
	कुल निलंबित ठोस (टीएसएस)	50
	कुल विघटित ठोस (टीडीएस)	2100**
	सल्फाईड्स (एस के रूप में)	2.0
	अमोनिकल नाइट्रोजन (एन के रूप में)	50
	कुल क्रोमियम (सीआर के रूप में)	2.0
	हैग्जावलेंट क्रोमियम	0.1
	तेल और चिकनाई	10"
बोर्ड/प्रदू को 2. **पू लागू नर्ह 3. क्रोग संयंत्र' क 4. चर्म 5. शो के लिए ⁵ 6. मान होंगे। 7. स्वर समिति र अनि 8. शो जिल में ट शोधित ब 9. भूगि (मानसून	 देयों और झीलों में सीधे निपटान के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्र षण नियंत्रण समितियां (एसपीसीबी/पीसीसी), निपटान प्रणाली र्क निर्दिष्ट कर सकते हैं। र्णत: घुले हुए ठोस पदार्थ (टीडीएस) के मानक, उचित समुद्री मुहाने	ने गुणवत्ता के आधार पर अधिक कड़े मानकों के माध्यम से समुद्री निपटान के मामले में ए क्रोम मद्य के शोधन हेतु 'क्रोम रिकवरी में सुनिश्चित करेगा। द्योगिक प्रक्रिया/सिंचाई में पुन: उपयोग तरण होने की अनुमति दी जाएगी। 5 पैमाने के बावजूद समान रूप से लागू में शोधित जल के पुन:चक्रण/पुन: उपयोग को र होगी; हालांकि ऐसे मामले में जहां लिए गए तक की अधिकतम छूट दी जाएगी बशर्ते कि नहीं हो। में चर्मशोधनशाला इकाई द्वारा वर्ष में दो बार नेगरानी की जाएगी।
	नियम, 2016 में किए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।	
	ाईयां "अपशिष्टों के संसाधन और शोधन प्रक्रिया के पर्यावरण की द	ष्टि से सक्षम प्रबंधन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम
प्रौद्योगि	कियों" पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण व र्देशों का पालन करेंगी।	

चर्म/खालों के प्रसंस्करण के लिए जल खपत की अधि	चर्म/खालों के प्रसंस्करण के लिए जल खपत की अधिकतम विनिर्दिष्ट मात्रा			
(मासिक औसत मूल्य)	(मासिक औसत मूल्य)			
कच्चे से नम/नीला श्वेत	संसाधित कच्चे चर्म/खालों का 18 मी ³ प्रति टन			
चर्मशोधन के बाद की प्रक्रिया	संसाधित कच्चे चर्म/खालों का 17 मी ³ प्रति टन			
कुल खपत	संसाधित कच्चे चर्म/खालों का 35 मी ³ प्रति टन			
अधिकतम अपशिष्ट जल निस्सारण = अधिकतम ज	अधिकतम अपशिष्ट जल निस्सारण = अधिकतम जल खपत का 85%			
नम-नीला/श्वेत और चर्म में तैयार चमड़े की पुन: ग जूते का ऊपरी चमड़ा:	नम-नीला/श्वेत और चर्म में तैयार चमड़े की पुन: गणना करने के कारक: जूते का ऊपरी चमड़ा:			
कच्चे चर्म/खालों का 15 टन = नम-नीले का 7.84	कच्चे चर्म/खालों का 15 टन = नम-नीले का 7.84 टन = तैयार चमड़े का 2.94 टन			
गृह साज-सामग्री के प्रयोग में आने वाला चमड़ा:	गृह साज-सामग्री के प्रयोग में आने वाला चमड़ा:			
कच्चे चर्म/खालों का 15 टन = नम-नीले का 5.08	कच्चे चर्म/खालों का 15 टन = नम-नीले का 5.08 टन = तैयार चमड़े का 1.48 टन			

[फा. सं. क्यू-15017/44/2007-सीपीडब्ल्यू] डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 593 (अ) दिनांक 28 जून, 2018 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2018

G.S.R. 730(E).— The following draft rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions with respect to the said draft rules may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, Central Pollution Control Board and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

Draft Rules

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 (thereinafter referred to as the said rules), in Schedule-I,

(i) for the serial number 16 and the entries relating thereto shall be omitted, and

(ii) for serial number 57 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards	
0.110.	maasay	i u unicici	(applicable for all modes of disposal*)	
1	2	3	4	
"57	Tanneries	Standards for Dis	charge of Effluent from Tannery Industry	
		Treated Effluent	Max. permissible values	
		Frence Enfactin	(in mg/l, except for pH)	
		pH	6 to 9	
		Biochemical Oxygen Demand	20	
		(BOD ₃ at 27 °C) Chemical Oxygen Demand (COD)	250	
		Total Suspended Solids (TSS)	50	
		Total Dissolved Solids (TDS)	2100**	
		Sulphides (as S)	2.0	
		Ammonical-Nitrogen (as N)	50	
		Total Chromium (as Cr)	2.0	
		Hexavalent Chromium (as Cr ⁺⁶)	0.1	
		Oils and Grease	10"	
		 (CPCB) or State Pollution CdPCCs) may specify more string system. 2. **Standards for TDS shall not marine outfall. 3. Chrome tanning units shall ensite of spent chrome liquor so as to 4. The tannery shall ensure salt re 5. The treated effluent shall be a after exhausting options for refreshwater usage. 6. Standards are equally applicab scale of production. 7. The standalone units shall mee mandate recycle / reuse of the critical areas. 8. TDS limit with respect to treate case where TDS in intake w relaxation up to 1000 milligral limit of 3100 milligramme per 9. In case of discharge of treate groundwater quality shall be in tannery unit. 	covery through soak liquor segregation. Illowed to be discharged in the ambient environment only euse in industrial process /irrigation in order to minimise le to all types of stand-alone tanneries irrespective of their et prescribed discharge norms; however, SPCB / PCC shall treated water in water scarce / environmentally sensitive / ed effluent shall be 2100 milligramme per litre; however, in water is above 1100 milligramme per litre, a maximum umme per litre shall be permitted provided the maximum litre is not exceeded in the treated effluent. ed effluent on land for irrigation, the impact onsoil and monitored twice a year (pre- and post- monsoon) by the	
		 Management, handling and disposal of Sludge and other wastes shall be undertaken as per the provisions made in the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. The units shall follow the guidelines prescribed by CPCB and SPCB / PCC on "Best Available Technologies for Environmentally Sound Management of the Process and Treatment of Wastes". Maximum specific water consumption for processing hides/ skins: 		
		(monthly average values)		
			8 m ³ per tonne of raw hides /skins processed	
			7 m ³ pertonne of raw hides /skins processed 5 m ³ per tonne of raw hides /skins processed	
			55% of maximum water consumption.	
		Factors to re-calculate Finished leat		
]				

Shoe upper leather:	
15 tonnes of Raw hides /skins = 7.84 tonnes of Wet blue = 2.94 tonnes of finished leather	
Upholstery leather:	
15 tonnes of Raw hides/skins = 5.08tonnes of Wet blue = 1.48 tonnes of finished leather	

[F. No. Q-15017/44/2007-CPW] Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification G.S.R. 593(E), dated the 28th June, 2018.